सं.23011/1/2021-पीएण्डके

भारत सरकार

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 20 मई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान खरीफ मौसम (31.10.2021) तक एनबीएस दरों में संशोधन तथा दो मिश्रित उर्वरकों एनपीके (8-21-21) और एनपीके (9-24-24) का एनबीएस स्कीम के तहत समावेश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2021-22 के लिए एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों में निहित पोषकतत्वों नामत: नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी), पोटाश (के) एवं सल्फर (एस) पर इस अधिसूचना की तारीख से 31.10.2021 तक लागू प्रति कि.ग्रा. राजसहायता निम्न प्रकार होगी:

क्र.सं.	पोषक तत्व	एनबीएस (पोषकतत्व पर प्रति कि.ग्रा. रुपए)
1.	एन	18.789
2.	पी	45.323
3.	के	10.116
4.	एस	2.374

2. यह भी उल्लेख किया जाता है कि दो मिश्रित उर्वरकों एनपीके (8-21-21) और एनपीके (9-24-24) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

3. वर्ष 2021-22 के लिए एफसीओ और एनबीएस नीति के तहत शामिल पीएण्डके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर इस अधिसूचना की तारीख से दिनांक 31.10.2021 तक लागू उत्पाद-वार राजसहायता निम्न प्रकार होगी:-

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	एनबीएस दरें (रु./एम टी में)
1.	डीएपी 18-46-0-0	24231
2.	एमओपी 0-0-60-0	6070
3.	एसएसपी 0-16-0-11	7513
4.	एनपीएस 20-20-0-13	13131
5.	एनपीके 10-26-26-0	16293
6.	एनपी 20-20-0-0	12822
7.	एनपीके 15-15-15	11134
8.	एनपी 24-24-0-0	15387
9.	एएस 20.5-0-0-23	4398
10.	एनपी 28-28-0-0	17951
11.	एनपीके 17-17-17	12619
12.	एनपीके 19-19-19	14103
13.	एनपीके 16-16-16-0	11876
14.	एनपीएस 16-20-0-13	12379
15.	एनपीके 14-35-14	19910

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	एनबीएस दरें (रु./एम टी में)
16.	एनपीएस 24:24-0-8*	15387
17.	एमएपी 11-52-0-0	25635
18.	टीएसपी 0-46-0-0	20849
19.	एनपीके 12-32-16	18377
20.	एनपीके 14-28-14	16737
21.	एनपीकेएस 15-15-15-09	11348
22.	एनपी 14-28-0-0	15321
23.	एनपीके 8-21-21	13145
24.	एनपीके 9-24-24	14996

* इसमें सल्फर पर राजसहायता शामिल नहीं है।

4. वर्ष 2021-22 के संबंध में 01.04.2021 से इस अधिसूचना की तारीख तक वर्ष 2020-21 की एनबीएस दरें लागू होंगी।

5. एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों का कोई प्रकार जो एफसीओ के प्रावधानों के तहत बोरोन और जिंक से सम्पुष्ट /लेपित हो, राजसहायता का पात्र होगा। उर्वरकों के ऐसे सम्पुष्ट/लेपित ग्रेडों को प्राथमिक पोषकतत्वों के साथ उनके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार प्रति टन अतिरिक्त राजसहायता दी जाएगी:

क्रम सं.	एफसीओ के अनुसार सम्पुष्टता के लिए पोषकतत्व	सम्पुष्ट/लेपित उर्वरकों के लिए अतिरिक्त राजसहायता (रुपये/एम टी)
1.	बोरोन (बी)	300
2.	जिंक (जेडएन)	500

6. पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की तर्कसंगतता की जांच के लिए कंपनियां 15.11.2019 के तर्कसंगतता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणित लागत आंकड़े प्रस्तुत करेंगी। कंपनियां उर्वरक विभाग को नियमित रूप से पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती रहेंगी| तर्कसंगत लाभ से अधिक लिया गया लाभ अनुचित माना जाएगा और चूककर्ता कंपनियों के राज सहायता बिलों से वसूल किया जाएगा।

7. इस अधिसूचना की तारीख से कोई भी पीएंडके उर्वरक पुरानी राजसहायता दरों के अनुसार तय किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा। यदि उर्वरक विभाग के संज्ञान में पुरानी राजसहायता दरों के अनुसार तय किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिक्री का कोई मामला आता है तो चूककर्ता कंपनी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करना कंपनियों का दायित्व होगा कि इस अधिसूचना के उपरांत उनके खुदरा विक्रेता पीएंडके उर्वरकों की बिक्री इस अधिसूचित राजसहायता दरों के अनुरूप तय किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार ही करें।

8. उर्वरक कंपनियों के लिए उर्वरक बोरियों पर लागू राजसहायता के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। अंकित एमआरपी से अधिक पर कोई भी बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।

9. तैयार उर्वरकों, उर्वरक आदानों के आयात के साथ-साथ उर्वरकों के वितरण और संचलन तथा स्वदेशी इकाइयों द्वारा उत्पादन की निगरानी वेब-आधारित ऑनलाइन ''एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस)'' (पूर्व में एफएमएस और एमएफएमएस) के माध्यम से जारी रहेगी।

20/05/2021

10. एसएसपी के विनिर्माताओं सहित पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/विपणनकर्ताओं/आयातकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खुदरा बिक्री केंद्र तक उर्वरकों का परिवहन एफ.ओ.आर. सुपुर्दगी आधार पर किया जाए।

11. अनुकूलित उर्वरकों एवं मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर अलग से कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी।

12. पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों को राजसहायता का भुगतान विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 25.10.2012 की अधिसूचना सं. डी (एफए)/सीसीईए/2011 और दिनांक 17.03.2017 की डी(एफए)/2016/डीबीटी में उल्लिखित प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा।

13. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

20/05/2024

(विनय कुमार पाण्डेय)
निदेशक
दूरभाष: 23389839

1. सचिव (कृषि), डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव (व्यय), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव (नीति आयोग),योजना भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (आईएनएम), डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. संयुक्त सचिव (मंत्रिमंडल), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
9. निदेशक, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
10. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
11. निदेशक (उर्वरक राजसहायता), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
12. निदेशक (वित्त)/उप सचिव (बजट), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
13. निदेशक (संचलन)/निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
14. महानिदेशक, एफएआई, नई दिल्ली।
15. सभी यूरिया विनिर्माता और पीएण्डके उर्वरक विनिर्माता एवं आयातक।

प्रतिलिपि:

1. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/सभी कृषि उत्पादन आयुक्त/ सचिव(कृषि)।
2. आयुक्त/निदेशक, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के आयुक्तालय/कृषि निदेशालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (रसायन और उर्वरक) के निजी सचिव/सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव(डीपी)/संयुक्त सचिव(पीएस)/संयुक्त सचिव(जीएस)/आर्थिक सलाहकार/मुख्य लेखा नियंत्रक/निदेशक(लेखा)/गार्ड फाइल/तकनीकी निदेशक, एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।